"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 385] रायपुर, बुधवार, दिनांक 3 अक्टूबर 2018 — आश्विन 11, शक 1940

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 29 सितम्बर 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3–8/2018/38–2. — छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पत्र क्र. 966/प्र.परि./प्र.अ./रा.स.यू./2018/8937, दिनांक 26–09–2018 द्वारा श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय, शदानी दरबार के पास, ग्राम–धनेली, पोस्ट ऑफिस–माना, धमतरी रोड, तहसील एवं जिला–रायपुर (छत्तीसगढ़) के प्रथम परिनियम क्रमांक 01 से 26 एवं प्रथम अध्यादेश क्रमांक 01 से 54 का अनुमोदन छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 26 एवं धारा 28 के तहत् किया गया है।

राज्य शासन, एतद्द्वारा, उपरोक्त परिनियमों एवं अध्यादेशों को राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उपरोक्त परिनियम एवं अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेन्द्र कुमार जायसवाल, सचिव.

शासी निकाय, प्रबंध मण्डल, विद्या परिषद् और संकाय प्राधिकरण के सदस्यों को मिलाकर समितियों का गठन कर सकेगा एवं ऐसी समिति, नियुक्ति प्राधिकारी को सौंपे गये विषय अथवा विषयों के साथ संव्यवहार कर सकेगा तथा उसे रिपोर्ट करेगा।

परिनियम क्रमांक 19

परीक्षा समिति

(1) विश्वविद्यालय परीक्षा समिति की समस्त परीक्षायें, सुसंगत अध्यादेश के अनुसार आयोजित होंगी। सुविधा के क्रम में निम्नलिखित को मिलाकर एक परीक्षा समिति होगी :
   (एक) सदस्यों के रूप में, तीन वर्ष की कालावधि हेतु चार विभागो के प्रमुख
   (दो) उपरोक्त 1 (क) में उल्लिखित विभाग के प्रमुखों में एक को कुलपति द्वारा चक्रीय क्रम से दो वर्ष की कालावधि हेतु समिति के अध्यक्ष के रूप में दो मनोमित किया जा सकेगा ।
   (तीन) दो वर्ष की कालावधि हेतु सदस्य के रूप में दो वरिष्ठ सदस्य होंगे।
   (चार) परीक्षा नियंत्रक, समिति के सदस्य सचिव के रूप में होंगे।

(2) परीक्षा समिति की बैठकें, समुचित प्राधिकारी जिसमें कुलपति और परीक्षा समिति के अध्यक्ष सम्मिलित है की अनुशंसा पर आवश्यकतानुसार आयोजित की जायेगी।

(3) अध्यक्ष सहित समिति के चार सदस्य बैठक के कोरम का गठन करेंगे।

(4) समिति के सभी सदस्य इसमें अपने कार्यकाल या कुलपति के प्रसाद पर्यंत तक बने रहेंगे।

(5) परीक्षा समिति की शक्तियां एवं कार्य निम्नानुसार होंगीः–
   (एक) नियमित/एटीकेटी/सप्लीमेंट्री (अवधि तक रखने हेतु अनुज्ञात) अभ्यर्थी के रूप में विद्यार्थी जो आगामी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे है, की अंतिम रूप से संख्या का मिलान करेगी।
   (दो) सभी विभागों से प्रस्तावित परीक्षा समय–सारिणी को मिलान करने के पश्चात् परीक्षा विभाग द्वारा प्रस्तुत परीक्षा समय–सारणी को अंतिम रूप देगी।
   (तीन) परीक्षा कार्य में त्रुटि किये जाने पर प्रश्न पत्र सेंटर, उत्तर लेख के जांचकर्ता, परीक्षकों, सहायक अधीक्षकों, जांचकर्ताओं, तालिकाकर्ताओं और मिलान कर्ताओं को दिये मानदेय में अंतिम रूप से कटौती करना।
   (चार) स्वयं में संतुष्ट होने के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा के परिणाम की जांच कर पारित व अनुमोदित करेगा कि संपूर्ण एवं विभिन्न विषयों के परिणाम प्रचलित मानक के अनुरूप है तथा कोई प्रकरण में जहां परिणाम असंतुलित है वहॉ की गई कार्यवाही को कुलपति को अनुशंसा करेगा।
   (पॉच) प्रश्नपत्रों के विरूद्ध शिकायतों की जांच तथा उचित कार्यवाही करना।
   (छः) अनुचित साधनों के प्रकरणों पर विचार करना तथा विश्वविद्यालय के अध्यादेश के अनुसार समुचित कार्यवाही करना।
   (सात) परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थी द्वारा दुर्व्यवहार के प्रकरणों पर विचार करना तथा विश्वविद्यालय के अध्यादेश अनुसार समुचित कार्यवाही करना।
   (आठ) परीक्षक, परीक्षा नियंत्रक या उसके कार्यालय में कार्यरत किसी व्यक्ति को उसे अनुचित रूप से किसी के पक्ष में सिफारिश किये जाने के लिए, किसी भी साधन से पहुॅच या दबाव बनाने वाले परीक्षार्थी के मामलों पर विचार करना तथा विश्वविद्यालय के अध्यादेश के अनुसार ऐसे मामलों में समुचित कार्यवाही करना।
   (नौ) परीक्षा विभाग द्वारा प्रस्तुत परीक्षकों की सूची को अंतिम रूप देना।
   (दस) प्रत्येक लिखित पेपर हेतु पेपर सेटर की नियुक्ति के लिए कुलपति को तीन नामों की अनुशंसा करना।

(ग्यारह) परीक्षा प्रणाली की गोपनीयता और पवित्रता सुनिश्चित करने के तरीकों और साधनों का निर्धारण करना ।

(बारह) उपपरीक्षकों की नियुक्ति हेतु व्यक्तियों की सूची को अंतिम रूप देना तथा आवश्यक होने पर कुलपति के समक्ष प्रस्ताव करना ।

(तेरह) यदि वह परीक्षक के रूप में निरंतर तीन वर्षो से कार्यरत रहा हो, तो भी परीक्षक के रूप में विषय विशेषज्ञ की पुनर्नियुक्ति हेतु अनुशंसा करेगा।

(चौदह) किसी परीक्षक को अनियमित करने हेतु अनुशंसा करना यदि अध्यादेश के अनुसार उसकी सेवायें असंतोषजनक पायी जाती है।

(पन्द्रह) परीक्षा मामले से संबंधित, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, कुलपति, विद्या परिषद् द्वारा उसे सौंपे गये कोई अन्य कार्य।

(6) क्रियान्वित करने हेतु उत्तरदायी, परीक्षा समिति, अपनी अनुशंसा निर्णय के साथ कुलसचिव को बैठकों के प्रतिवेदन/कार्यवाही विवरण प्रस्तुत करेगी।

परिनियम क्रमांक 20

अध्ययन मण्डल

(1) प्रत्येक विभाग हेतु एक अध्ययन मण्डल होगा, जिसमें:

(क) विभाग का प्रमुख – अध्यक्ष

(ख) संबंधित विभाग के दो शिक्षक – सदस्य

(ग) विश्वविद्यालय के बाहर के अध्ययन मण्डल द्वारा सहयोजित सदस्य के रूप में एक वरिष्ठ शिक्षक सदस्य – सदस्य

(कुलपति, संबंधित विभाग के प्रमुख/अध्यक्ष की अनुशंसा पर कुछ बाहरी विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकेगा)

(2) पूर्व पदाधिकारी सदस्यों के अलावा, अध्यन बोर्ड के सदस्यों की अवधि तीन साल की होगी ।

(3) कुलपति, जैसे और जब आवश्यक हो, विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किये गये विषयों के लिए अध्ययन मण्डल का गठन कर सकेगा।

(4) अध्ययन मण्डल विस्तृत पाठ्यचर्या के साथ विभाग के विभिन्न पाठ्यक्रमों के परीक्षा पैटर्न, मूल्यांकन एवं निर्देश के साथ विषयों का परिदान करेगा एवं अनुमोदन एवं प्रकाशन हेतु विद्या परिषद् को प्रस्तुत करेगा।

(5) पाठ्यचर्या की विषयवस्तु को अध्ययन मण्डल द्वारा समय–समय पर संशोधित एवं अद्यतन किया जायेगा एवं उसे विद्या परिषद् के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

(6) अध्ययन मण्डल की बैठके वर्ष में कम से कम एक बार होगी।

(7) संकाय के कम से कम आधे सदस्यों से बैठक का कोरम होगा।

परिनियम क्रमांक 21

विद्यार्थियों से प्रभारित की जाने वाली फीस के संबंध में प्रावधान

(1) विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए शिक्षण शुल्क (ट्यूशन फीस) प्रबंधन बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाएगा ।

(2) विश्वविद्यालय, अन्य फीस जैसे कि प्रवेश फीस, छात्रावास फीस, मेस फीस, प्रचलन फीस, लाउन्ड्री, प्रिटिंग आदि जैसे सेवा के लिए भी फीस समय–समय पर विहित करेगा।